न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 01/2010

अपीलांट

डायाराम पुत्र श्री हीरालाल जाति माली निवासी सोजतसिटी।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री दिलीपसिंह चारण विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर।
राजपैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.04.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व क्रम संख्या 10/67 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2010 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को मौजा सरहद सोजत के चक नं 1 के खसरा नंबर 1889 में से कुंआ खोदने हेतु भूमि का आंवटन दिनांक 27.05.2004 को किया गया। जो आवंटन राजस्थान भू–राजस्व(सिंचाई प्रयोजनार्थ के लिये कुंआ खोदने तथा पम्पिग सेट लगाने हेतु भूमि को आवंटन) नियम 1979 के तहत किया गया। आवंटन के पश्चात आवंटन लीज डीड उप पंजीयन अधिकारी सोजत द्वारा पंजीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त लीज पंजीकृत के नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2010 को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का आधार यह था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऐसी भूमि का आवंटन व नियमन नहीं किया जा सकता है। ऐसी लीज पर आवंटित भूमि का नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता है। अपीलांट को सन 2004 में विधिवत रूप से कुंआ खोदने हेतु भूमि का आवंटन किया गया। जो आवंटन नियम 1979 के अनुसार विधिवत रूप से किया गया। आवंटन नियम के नियम 5 में यह प्रावधान है कि कुंआ खोदने हेतु गै.मुमकिन नदी का आवंटन किया जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट को आवंटन में 03 वर्ष की लीज जारी की गई जो लीज पंजीकृत है। आवंटन नियमों मे लीज 10 वर्ष की भी जारी की जा सकती है। और 10 वर्ष के पश्चात उक्त लीज का नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। अपीलांट ने उक्त आवंटन शर्ते की पालना की है। अपीलांट को कुंआ खोदने हेतु भूमि आवंटन की गई वह आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि थी, जिस पर अपीलांट ने कुंआ खुदवाया व पम्पिग सेट लगवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते समय अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट को जो भूमि का आवंटन किया गया वह नियमों के अनुसार किया गया है। और नियमो के अनुसार लीज जारी की गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधारो के अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपीलांट अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त फरमावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को मौजा सरहद सोजत के चक नं 1 के खसरा नंबर 1889 में से कुंआ खोदने हेतु भूमि का आंवटन दिनांक 27.05.2004 को किया गया। जो आवंटन राजस्थान भू–राजस्व(सिंचाई प्रयोजनार्थ के लिये कुंआ खोदने तथा पम्पिग सेट लगाने हेतु भूमि को आवंटन) नियम 1979 के तहत किया गया। आवंटन के पश्चात आवंटन लीज डीड उप पंजीयन अधिकारी सोजत द्वारा पंजीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त लीज पंजीकृत के नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2010 को खारिज कर दिया गया। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। एवं इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विनिर्णयो में उक्त श्रेणी की भूमि को आवंटन हेतु प्रतिबंधित किया गया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट को मौजा सरहद सोजत के चक नं 1 के खसरा नंबर 1889 में से कुंआ खोदने हेतु भूमि का आंवटन दिनांक 27.05.2004 को किया गया। जो आवंटन राजस्थान भू–राजस्व(सिंचाई प्रयोजनार्थ के लिये कुंआ खोदने तथा पम्पिग सेट लगाने हेतु भूमि को आवंटन) नियम 1979 के तहत किया गया। आवंटन के पश्चात आवंटन लीज डीड उप पंजीयन अधिकारी सोजत द्वारा पंजीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त लीज पंजीकृत के नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र "माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अब ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसी लीज पर आंवटित भूमि की लीज का नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता है।" का आधार रखते हुए खारिज किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर अपने विनिर्णयो के अन्तर्गत उक्त श्रेणी की भूमि को आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबंधित करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व क्रम संख्या 10/67 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2010 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली